APP
Crll

FORM No.lll
फर्दअहकाम
(नियम 26)

नाम ... कलेक्टर मुकाम बसवा

बनवारीलाल बनाम सरकार

दमा दावा दुरुस्ती नं. 81 सन 2022

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकालो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 22/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर रीडर	
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकालो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 10/09/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर रीडर	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ... बसवा (दौसा) राज.
10/9/24	पत्रावली पेश हुई, प्रकरण में प्रार्थी वकील की बहस पुनः सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा

जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :– 81/2022
प्रकरण रज्जु दिनांक 26.7.2022
निर्णय दिनांक . 10.9.2024

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट ★ बसवा (दौसा) राज. ★

उनवान

प्रकरण :– वास्ते 136 एल.आर.एक्ट वास्ते संशोधन हेतु
वादपत्र इन्द्राज दुरस्ती खाता संख्या
नया 178 पुराना 175 वाके रामा बसवा

प्रकरण का उनवान

बनवारी लाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी सिंघलों की ढाणी, बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार व लैण्ड होल्डर,बसवा

(अप्राथी)

–:निर्णय :–

दिनांक :–10.9.2024

प्रार्थना–पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अंतर्गत
धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहतः–
उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट श्री
नवीन कुमार गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में एक प्रा.पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया । जिसके अनुसार ग्राम बसवा के खाता संख्या नया 178 पुाना 175 में खसरा नंबर 6902, 6903, 6934, 6935 कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/9 है । उक्त आराजियात के खाते में वादी का नाम बन्ना पुत्र गंगाधर दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र गंगाधर है, बन्ना वादी का घर का नाम है । वादी के समस्त आई. डी. यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम बनवारीलाल अंकित है । अतः वादी का खाता संख्या नया 178 पुराना 175 रामा बसवा में बन्ना पुत्र गंगाधर के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र गंगाधर किया जाकर त्रुटि सहवन से हुई है, वादी जिसे दुरस्त करवाने का अधिकारी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बसवा को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2024/1920 दिनांक 29.5.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत की है कि ग्राम बसवा जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 178 कैलाश पुत्र लटूरया व बन्ना पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/9 दर्ज खातेदार शेष खाता जमाबंदी बदस्तूर दर्ज है । लेकिन उपरोक्त खाते में खसरे 6902, 6903, 6934, 6935 अंकित है, उपरोक्त खाते में दर्ज बन्ना पुत्र गंगाधर की मौके पर पहुँचकर जांच की गई जिसमें उपस्थित लोगों ने बताया कि बन्ना व बनवारीलाल एक ही व्यक्ति है एवं प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

का आधारकार्ड में भी बनवारीलाल पि. गंगाधर जाति मीना दर्ज है । अतः पटवारी हलका बसवा सी ने उपरोक्त प्रकरण में बाद जांच बन्ना पि. गंगाधर जाति मीना के स्थान पर बनवारीलाल पि. गंगाधर जाति मीना किया जाना उचित अवगत करवाया है ।

हमने प्रार्थना–पत्र 136 राज.भू.अधि.1956 का, मय दस्तावेजात का भी अवलोकन किया जिसमे ग्राम बसवा के ही अन्य खातों की जमाबंदी यथा खाता संख्या नया 829, 830, में भी इस वादी का नाम बनवारीलाल पुत्र गंगाधर अंकित है, सरपंच, ग्राम पंचायत बसवा द्वारा स्वयं के लैटरपैड पर इस वादी का नाम बनवारी होना अंकित किया है । आधारकार्ड, डी.एल., फोटोपहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि के अवलोकन से भी वाद पत्र में वांछित अनुतोष उपयुक्त पाया गया है ।

ऐसी दशा में प्रार्थी/वादी जमाबंदी में अंकित अपना नाम बन्ना के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र गंगाधर करवाने का अधिकारी है ।

आदेश

संपूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं ।

वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रविष्टि			इस आदेश के द्वारा इस प्रविष्ठि में जो संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं		
राजस्व ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्ठि जिसे दुरस्त करना है	राजस्व ग्राम	खाता सं.	इस आदेश के उपरांत इस प्रविष्ठि को संशोधित किया जाना है ।
1	2	3	4	5	6
बसवा	नया 178 पुराना 175	बन्ना पुत्र गंगाधर	बसवा	नया 178 पुराना 175	बनवारीलाल पुत्र गंगाधर

अतः वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रविष्ठि को कॉलम संख्या 6 में संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतदद्वारा राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे । तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नंबर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी बसवा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी व उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested